अप्रे/प्र० व०
11/1/21
भारी
11.01.2021

संख्या–2515 / 81–2–2020–911 / 92

प्रेषक,

आर० पी० सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष,
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक // जनवरी, 2021**

विषय–जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत मै० रेणुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्षो की लीज (दिनांक 21.06.2019 से 20.06.2029 तक) के लिए दी गयी 61.2348 हे० वनभूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 के पत्रांक–1265/11–सी–एफपी/यूपी/IND/39403/2019 दिनांक 27.11.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश दिनांक 21.08.2019 एवं शासन के पत्र दिनांक 19.03.2020 का अनुपालन किये बिना ही प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन सन्दर्भित किया जा रहा है। यूजर एजेन्सी द्वारा शासनादेश दिनांक 21.08.2019 के शर्त संख्या–17 का अनुपालन नहीं किया गया", । मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा प्रयोक्ता विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार समुचित परीक्षण नहीं किया गया है। बल्कि अधीनस्थ विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या को अग्रसारित किया गया है। परियोजनाओं का समुचित रूप से परीक्षण नहीं किया जा रहा है, जिससे परियोजनाओं के कियान्वयन/स्वीकृति में विलम्ब हो रहा है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के स्तर पर की गई उदासीनता एवं सतही तौर पर परियोजनाओं के परीक्षण हेतु सम्बन्धि कार्मिक का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय। प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में यूजर एजेन्सी से शासनादेश दिनांक 21.08.2019 में उल्लिखित शर्त संख्या–17 व अन्य शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव 15 दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
RSingh
(आर० पी० सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 27.11.2020 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
RSingh
(आर० पी० सिंह)
अनु सचिव।

PDNO
07/01/2021

Data D. Rajesh. GO 1